कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018–22/15 दिनांकः 06/01/2022

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
समस्त संस्था प्रधान सरकारी/गैर सरकारी विद्यालय।

विषयः राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के संचालन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश।
प्रसंगः राज. सरकार गृह विभाग आदेश क्रमांक पं. 7(1)गृह –7/2021 जयपुर दिनांक : 05.01.2022 तथा इस कार्यालय से जारी SOP क्रमांकःशिविरा/माध्य/मा–स/विविध दिवस/ 2018–22/10 दिनांकः 03.01.2022

उपरोक्त विषयातर्गत पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट Omicron संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु राज्य सरकार के गृह विभाग के आदेश दिनांक 05 जनवरी 2022 के क्रम में, विभाग द्वारा राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के संचालन हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) SOP दिनांकः03.01.2022 में निम्नलिखित बिन्दु जोडे जाते हैं जो दिनांकः 07.01. 2022 से लागू होगें:–

1. जिन विद्यालयों द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, उनके संस्था प्रधानों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग, दो गज दूरी, सैनिटाइजेशन, बंद स्थानों पर उचित वेंटीलेशन इत्यादि) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. जयपुर व जोधपुर में बढ़ते हुए कोविड संक्रमण के मद्देनजर जयपुर नगर निगम क्षेत्र (ग्रेटर/हेरिटेज) एवं जोधपुर नगर निगम (उत्तर/दक्षिण) के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के लिये नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन आगामी 17 जनवरी 2022 तक के लिए बंद रहेगा। परंतु ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जाएगा। समस्त विद्यालय इस अवधि में इन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन अध्ययन सामग्री से शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
3. राज्य के अन्य जिलों/क्षेत्रों के संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार से चर्चा उपरात निर्णय ले सकेंगे। ऐसी स्थिति में भी विद्यालय अपने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण अथवा डिस्टेंस लर्निंग हेतु ऑनलाइन अध्ययन सामग्री पहुंचा कर शिक्षण कार्य निरंतर रखेंगे।
4. स्माइल, आओ घर से सीखे, ई–कक्षा एवं अन्य ऑनलाइन शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचाने वाले डिजिटल कार्यक्रम अनवरत जारी रहेंगे तथा इस क्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी चाहे वह विद्यालय में उपस्थित है अथवा घर से अध्ययन जारी रखे हुए हैं को विद्यालय की तरफ से online अध्ययन सामग्री पहुंच रही है।
5. विद्यालय में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी, स्टॉफ एवं अन्य आगंतुक कोविड उपयुक्त व्यवहार (covid appropriate behavior) सुनिश्चित करेंगे।
6. विद्यालय अपने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण अथवा डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता देंगे तथा ऑनलाइन अध्ययन सामग्री पहुंचा कर शिक्षण कार्य निरंतर रखेंगे।

(काना राम)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
01. विशिष्ट सहयक, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

E:\Genral letter.docx 1569

Scanned with CamScanner

02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायतीराज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
05. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
06. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
07. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
08. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
09. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
11. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त जिला कलक्टर गण।
13. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
14. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
15. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
16. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
17. मैनेजर, गुरू नानक भवन संस्थान, जयपुर।
18. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
19. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
20. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

E:\Genral letter.docx

1570

Scanned with CamScanner